पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 18, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–28

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	359–381	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	547–558	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	183	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–2

अधिसूचना / प्रकीर्ण

21 जून, 2016 ई0

संख्या 245 / XV–2 / 01(43) / 2004–श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान, के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड डेयरी विकास सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड डेयरी विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2016

भाग–एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड डेयरी विकास सेवा नियमावली (राजपत्रित) 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड डेयरी विकास सेवा में समूह "क" और "ख" के पद सम्मिलित हैं।

3. परिभाषाएं–

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से श्री राज्यपाल महोदय अभिप्रेत हैं;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के श्री राज्यपाल महोदय, अभिप्रेत हैं;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "निदेशक" से निदेशक, डेयरी विकास उत्तराखण्ड, अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड डेयरी विकास सेवा, अभिप्रेत है;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो

संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी श्री राज्यपाल महोदय द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट "क" में दी गई है:–

परन्तु यह कि श्री राज्यपाल महोदय–

(एक) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(दो) समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो आवश्यक समझे जाये।

भाग–तीन

भर्ती

5. भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न प्रवर्गों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) संयुक्त निदेशक–ऐसे स्थायी उपनिदेशकों, में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(2) उप निदेशक–ऐसे स्थायी सहायक निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) सहायक निदेशक–

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) 50 प्रतिशत पदों पर आयोग के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, ऐसे स्थायी वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को इस रूप में पाँच वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली हो।

6. आरक्षण–

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय, प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार

अर्हताएँ

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसके भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंजानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हताएँ–

सेवा में सहायक निदेशक (समूह "ख") डेयरी विकास उत्तराखण्ड के पदों पर सीधी भर्ती के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएँ:–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दुग्धशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि (B.tech in Dairy)

या

(2) इसके समकक्ष अन्य उपाधियों में दुग्धशाला में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातक उपाधि {B.Sc. (Ag) with specialisation in Animal Husbandry Dairying}) व डेयरी में स्नातक (B.Sc. in Dairy) उपाधि सम्मिलित है।

(3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

9. अधिमानी अर्हताएँ–

ऐसे अभ्यर्थी को–

(1) जिसने प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(2) जिसने राष्ट्रीय युवा सैनिक निकाय (राष्ट्रीय कैडेट कोर) का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10. आयु–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियाँ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए, उस वर्ष की पहली जुलाई को कम से कम 21 वर्ष पूर्ण हो तथा 42 वर्ष से अधिक न हो।

परन्तु उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्र–

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु श्री राज्यपाल महोदय, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करें:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पाँच

भर्ती कीं प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को ऐसी रिक्तियों की सूचना देगा, जो उसके माध्यम से भरी जायं।

15. सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) आयोग द्वारा चयन के लिये विचारार्थ आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में, जो भुगतान किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं, आमन्त्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग द्वारा नियम–6 के अनुसार उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जितने वह उचित समझे और जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हों।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को, उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होते हैं, तो संगत सेवा नियमावली में पद हेतु निर्धारित अधिमानी अर्हता (यदि कोई हों) धारित अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जायेगा, सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती–

1. संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, डेयरी विकास के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:–

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, डेयरी विकास, उत्तराखण्ड सरकार	–	अध्यक्ष,
(2)	सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड सरकार या उनके द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव के स्तर से निम्न न हो	–	सदस्य,
(3)	निदेशक, डेयरी विकास, उत्तराखण्ड	–	सदस्य।

2. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

3. चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

4. चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17. सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती–

सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

18. संयुक्त सूची–

यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जाती है, तो नियम–15 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम अनुकल्पतः लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें पहला नाम नियम–17 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19. नियुक्ति–

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम–15, 16, 17, 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्त करेगा।

20. परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्तियों में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21. विभागीय परीक्षा–

परिवीक्षा अवधि के दौरान समस्त अधिकारियों से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी, जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

22. स्थायीकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी किया जायेगा, यदि–

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो।

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो।

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वे स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त हैं।

23. ज्येष्ठता–

सेवा में किसी भी संवर्ग या पद पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जाएगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाएं, तो उस क्रम में अवधारित की जाएगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं:

परन्तु यह कि–

(1) सेवा में किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी है।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो पोषक संवर्ग में थी।

टिप्पणी–(एक) सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(दो) जहाँ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

भाग–सात

वेतन

24. वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न प्रवर्गों के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'ग' में दिये गये हैं।

25. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, यदि कोई हो, पूरा कर लिया हो और उसे स्थायी भी कर लिया गया हो:

परन्तु यह कि संतोषप्रद सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि संतोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये, तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन–

किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह आयोग के परामर्श से, जहाँ आवश्यक हों, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

29. व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

{नियम–4(2) देखें}

पदनाम	पदों की संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
समूह "क"		
1. संयुक्त निदेशक	1	–
2. उप निदेशक	3	–
समूह "ख"		
सहायक निदेशक	13	–

परिशिष्ट "ख"

(नियम–8 देखें)

सहायक निदेशक (समूह 'ख') के पदों पर सीधी भर्ती के लिये विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दुग्धशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि (B. tech. in Dairy)।

या

2. इसके समकक्ष अन्य उपाधियां में दुग्धशाला में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातक उपाधि {B. Sc. (Ag) with Specialisation in Animal Husbandry Dairying} व डेयरी में स्नातक (B.Sc. in Dairy) उपाधि सम्मिलित है।
3. देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

परिशिष्ट "ग"

(नियम–23 देखें)

उत्तराखण्ड डेयरी विकास सेवा में समूह 'क' एवं 'ख' के पदों का प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैंड	वेतनमान (₹ में)	ग्रेड वेतन (₹ में)
1.	संयुक्त निदेशक	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	7,600
2.	उप निदेशक	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	6,600
3.	सहायक निदेशक	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	5,400

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 245/XV-2/01(43)/2004,** dated June 21, 2016 for general information :

NOTIFICATION

June 21, 2016

No. 245/XV-2/01(43)/2004--In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and in suppression of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of person appointed to the Uttarakhand Dairy Development Department Gazetted Service.

THE UTTARAKHAND DAIRY DEVELOPMENT DEPARTMENT (GAZETTED) SERVICE RULES, 2016

PART-I

General

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called, the Uttarakhand Dairy Development Department (Gazetted) Service Rules, 2016.

(2) It shall come into force at once.

2. Status of Service :

The Uttarakhand Government Dairy Development Service comprises Group "A" and "B" posts.

3. Definitions :

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) "Appointing Authority" means the Governor;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Uttarakhand Public Service Commission;

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand ;

(g) "Member of the service" means a person appointed in a substantive capacity, under the provisions of these rules or of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

(h) "Director" means the Director, Dairy Development, Uttarakhand;

(i) "Service" means the Uttarakhand Dairy Development Service;

(j) "Year of recruitment" means the period of twelve months begining from the first day of July of a Calender Year.

PART-II

Cadre

4. Cadre of the Service :

(1) The strength of the service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, untill orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix 'A';

Provided that the Governor :

(ii) May leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) May Create such additional permanent or temporary posts from time to time, as may be found necessary.

PART-III

Recruitment

5. Source of recruitment :

Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

(1) **Joint Director--**By promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit from amongst the permanent Deputy Directors, who have completed 5 years of service as such as the first day of the year of recruitment.

(2) **Deputy Director--**By promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit from amongst permanent Assistant Directors, who have completed minimum 5 years of service as such as the first day of the year of recruitment.

(3) **Assistant Director--**

(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission :

(ii) Fifty percent by promotion on the basis of merit through the Commission from amongst the permanent Senior Milk Inspectors, who have completed minimum 5 years of service on the first day of the year of recruitment.

6. Reservation :

Reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV

Qualifications

7. Nationality :

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be--

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE : A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualification :

Academic Qualification prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director (Grade B) Dairy Development Department :

(1) Bachelor's Degree in Dairy Technology from a recognised University.

or

(2) Bachelor's Degree in Agriculture with specialisation in Animal Husbandry and Dairy from a recognised University.

(3) Working knowledge in Hindi written in Devanagri Script.

9. Preferential Qualifications :

A Candidate who has--

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age :

A candidate for direct recruitment to a post in the service must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on 1st July of the calendar year, in which posts are advertised by Public Service Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Class of Uttarakhand, as may be notified by the Government, from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character :

The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE : Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or body owned or controlled by the union government or a state government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status :

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Status :

No candidate shall be appointed to a post in their service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required, to pass an examination by a Medical Board:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate appointed by promotion.

PART-V
Procedure for Recruitment

14. Determination of vacancies :

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other categories under rule 6 and shall intimate to the Commission the vacancies which are to be filled through it.

15. Procedure for direct recruitment to the post of Assistant Director :

(1) Applications for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.

(2) The Commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class (O.B.C.) and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfill the requisite qualifications, as it consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of Preferential Qualifications, if any, for the service in the concerned service rule. The number of the names in the list shall be larger (but not more than 25 per cent) than the number of the vacancies. the Commission shall forward the list to the appointing authority.

16. Recruitment by promotion to the post of the Joint Director/Deputy Director :

(1) Recruitment to the post of the Joint Director and Deputy Director shall be made through a Selection Committee constituted as follows :--

(i)	Principal Secretary/Secretary to Government, Dairy Development	–	**Chairman,**
(ii)	Principal Secretary/Secretary to Government, Personnel Department or the person nominated by them, who is not below the rank of Additional Secretary, Government of Uttarakhand	–	**Member,**
(iii)	Director, Dairy Development, Uttarakhand	–	**Member.**

NOTE : The Senior Secretary shall be the Chairman.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis or records referred to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates, arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

17. Procedure for Recruitment by promotion to the post of Assistant Director :

Recruitment by promotion to the post of the Assistant Director shall be made in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.

18. Combined List :

If appointment has to be made both by direct recruitment and by promotion, a combined selection list shall be prepared by taking the names of candidates alternately from the lists prepared under rules 15 and 17, in which the first name being from the list prepared under rule 17.

PART-VI

Appointments, Probation, Confirmation and Seniority

19. Appointments :

The Appointing Authority shall make appointment by taking the name of candidates in the order in which they stand in the list prepared under 15, 16, 17, 18 as the case may be.

20. Probation :

(1) A person on appointment to a post in service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an affiliation or temporary capacity in a post included in the cadre of any other equivalent or higher post to be take into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Departmental Examination :

During the period of probation, all officers will be required to pass such departmental examinations and to undergo such training prescribed by the Government from time to time.

22. Confirmation :

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

(a) he has passed the prescribed departmental examination, if any,

(b) he has successfully, undergone the prescribed training, if any,

(c) his work and conduct are reported to be satisfactory,

(d) his integrity is certified; and

(e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

23. Seniority :

The Seniority of persons appointed in any cadre or posts shall be determined from the date of the order of their substantive appointments and if two or more persons are appointed together, in the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that--

(1) The inter se seniority of persons directly appointed to the service shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the commission or the committee, as the case may be.

(2) The inter se seniority or persons appointed to the service by promotion shall be the same as it was in the feeding cadre.

NOTE : (i) A candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons shall be final.

(ii) Where the order of appointment specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of the order of substantive appointment and, in other cases it will meant the date of the issuance of the order.

PART-VII

Pay

24. Scales of pay :

(1) The scales of pay admissible to persons appointed substandly to the various categories of posts shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given in **Appendix 'C'**.

25. Pay during probation :

(1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and has passed the departmental examination and undergone training, where prescribed and second increment after two years service, when he has completed the probation period and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable to government servants generally serving in connection with the affairs of the state.

PART-VIII

Other Provision

26. Canvassing :

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

27. Regulation of other matters :

In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

28. Relaxation from the condition of :

Where the Sate Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, in consultation with the Commission, where necessary, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Provided that where a rule has been framed in consultation with the commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

29. Saving :

Nothing in those rules shall a affect reservation and other concession required to be provided for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Calss in accordance with orders of the Government. Issued from time to time in this regard.

APPENDIX 'A'

{ See Rule-4(2) }

Name of Post	Number of Posts	
	Permanent	Temporary
Grade "A"		
1. Joint Director	1	--
2. Deputy Director	3	--
Grade "B"		
Assistant Director	13	--

APPENDIX 'B'

(See Rule-8)

ACADEMIC QUALIFICATION AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITMENT TO VARIOUS POSTS OF GROUP--B

Assistant Director :

1. Bachelor's Degree in Dairy Technology from a recognised University.

or

2. Bachelor's Degree in Agriculture with specialisation in Animal Husbandry and Dairy from a recognised University.

3. Working knowledge in Hindi written in Devanagri Script.

APPENDIX 'C'

(See Rule-23)

The scales of post at the time of commencement of these rules are as follows :--

Sl. No.	Name of Post	Name of Pay band	Pay Scale (in ₹)	Grade Pay (in ₹)
1.	Joint Director	Pay band-3	15,600--39,100	7,600
2.	Deputy Director	Pay band--3	15,600--39,100	6,600
3.	Assistant Director	Pay band--3	15,600--39,100	5,400

By Order,

Dr. RANBIR SINGH,

Additional Chief Secretary.

कार्मिक अनुभाग–4

विज्ञप्ति / नियुक्ति

10 जून, 2016 ई0

संख्या 278 / XXX(4) / 2016–02(24) / 2015–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन), परीक्षा 2014 के आधार पर चयनित एवं उनके पत्रांक 813 / 10 / ई–2 / CJ-DJ / 2014–15, दिनांक 21 नवम्बर, 2015 द्वारा दी गयी संस्तुति तथा इस सम्बन्ध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 2398 / XIII–d–1 / Admin.A / 2014, दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान ₹ 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770 में, नियुक्त किये जाने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम अभ्यर्थी	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	सुश्री बुशरा कमाल, ग्राम–बड़ा दुनवा, पो0 ऑ0–अमरिया, जिला पीलीभीत–262121, उत्तर प्रदेश	देहरादून
2.	श्री सचिन कुमार, त्रिमूर्ति भवन, धारा रोड, पौड़ी गढ़वाल, जिला–पौड़ी गढ़वाल–246001, उत्तराखण्ड	ऊधमसिंह नगर
3.	श्री रमेश चन्द्र, ग्राम–जंगलिया गाँव, पो0ऑ0–जंगलिया गाँव, भीमताल, जिला–नैनीताल–263136	पिथौरागढ़
4.	सुश्री मीनाक्षी शर्मा, आवास संख्या–95–ए, वसुधा एनक्लेव, आई0जी0 मार्ग, निरंजनपुर, जिला–देहरादून–248001	हरिद्वार
5.	सुश्री आशालिका पाण्डेय, गोयल सर्विस स्टेशन के पीछे, पूरे पितई, जिला–प्रतापगढ़–230001, उत्तर प्रदेश	देहरादून
6.	सुश्री भारती मंगलानी, मकान नं0–33, सूर्यानगर, निकट दीवानी क्रासिंग, जिला–आगरा–282002, उत्तर प्रदेश	हरिद्वार
7.	श्री विशाल वशिष्ट, 407, आर0ए0 बाजार, टॉप खाना, मेरठ कैन्ट–250001, उत्तर प्रदेश	उत्तरकाशी
8.	सुश्री ऐश्वर्या बोरा, मोहन लॉज, न्यू मण्डी गेट के सामने, बरेली रोड, पो0ऑ0–इन्दिरानगर, हल्द्वानी–263139, जिला–नैनीताल	हरिद्वार
9.	सुश्री पारूल थपलियाल, हिमाद्री एवेन्यू, लेन नं0–6, नेहरू ग्राम रोड, जिला–देहरादून–248001	ऊधमसिंह नगर
10.	श्री अमित भट्ट C/o श्री चमन सिंह चौहान, विकास अधिकारी, बजराण भवन, सुरेन्द्रनगर, निकट आवास विकास, जिला–बिजनौर–246701, उत्तर प्रदेश	चमोली
11.	श्रीमती चन्द्रेश्वरी सिंह, C/o डॉ0 दीपक S/o श्री संतपाल सिंह, कुण्डेश्वरी चौराहा, ग्राम एवं पो0–कुण्डेश्वरी, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर–262405	देहरादून
12.	श्री राजेन्द्र कुमार, मकान नं0–305, टाईप–III, आयुर्विज्ञान नगर, खेलगाँव रोड, नई दिल्ली–110049	चम्पावत
13.	श्रीमती सोनिया, सुन्दरी निवास, मकान नं0–29, चित्रकूट एनक्लेव, निकट अनुराग नर्सरी, कांवली रोड, देहरादून–248001	हरिद्वार

1	2	3
14.	कु0 कृष्टिका गुंजियाल, C/o श्री डी0 एस0 गुंजियाल, अपर पुलिस अधीक्षक, टाईप 4–I, बसन्त विहार, उत्तराखण्ड पुलिस आवास, देहरादून–248001	हरिद्वार
15.	कु0 कल्पना, ग्राम व पो–गठमीरपुर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार–24902	टिहरी गढ़वाल
16.	श्री रजनीश मोहन, 66–बी, विकास लोक, लेन नं0–3, सहस्त्रधारा रोड, जिला देहरादून–248001	हरिद्वार
17.	श्री पुनीत कुमार, 14–ई, ओल्ड सर्वे रोड, जिला देहरादून–248001	ऊधमसिंह नगर
18.	श्री प्रकाश चन्द्र, ग्राम–देवलचौड़, पो0ऑ0–भानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल–263139	ऊधमसिंह नगर।

2. यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 4(एस/बी) ऑफ 2014, रिट याचिका संख्या 178 (एस/बी) ऑफ 2014 एवं रिट याचिका संख्या 464 (एस/बी) ऑफ 2014, संदीप रावत बनाम मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय तथा अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

10 जून, 2016 ई0

संख्या 301/XXX(4)/2016–04(4)/2015–श्री जय देव सिंह, प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र 06.06.2016 एवं महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल का पत्र संख्या 2714/XIV/17/Admin.A, दिनांक 08.06.2016 के द्वारा की गयी संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के अध्याय 9 सेवानिवृत्ति के मूल नियम 58 (घ) में प्राविधानित तीन माह के नोटिस की अवधि को शिथिल करते हुए श्री जय देव सिंह, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 12.06.2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

07 जून, 2016 ई0

संख्या 586/XXVIII–3–2016–213/2001–श्री राज्यपाल महोदय, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 सपठित समय–समय पर यथासंशोधित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लैबलिंग) संशोधन नियमावली, 2014 के नियम–2(ख) के अधीन तम्बाकू उत्पादों के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 40 से 85 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि उक्त तम्बाकू उत्पादों के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी में 60 प्रतिशत पिक्टोरियल चेतावनी तथा 25 प्रतिशत शाब्दिक चेतावनी दर्शायी जायेगी।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

14 जून, 2016 ई0

संख्या 1154/XXXI(1)/2016–पदो0–12/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट, अनुसचिव को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बिष्ट, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या : 270 (एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या : 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य और मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या : 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उप सचिव के पद पर पदोन्नत श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट, उप सचिव को तकनीकी शिक्षा विभाग में तैनात किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

14 जून, 2016 ई0

संख्या 1155/XXXI(1)/2016/पदो0–12/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600, के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अनुसचिव के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के नाम	तैनाती का विभाग
1.	श्री अरूण कुमार	1. संस्कृत शिक्षा विभाग 2. सहकारिता गन्ना, चीनी विभाग
2.	श्री दीपक कुमार	1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2. संस्कृति विभाग

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तालिका में अंकित अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य/रिट याचिका संख्या : 14/DB/2016, बिरेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या : 270 (एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272 (एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या : 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य और मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या : 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. अनुसचिव के पद पर पदोन्नत उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी तैनाती के विभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रभारी सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना/नियुक्ति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 07/नो0डी0/XXXVI(1)/2016–924(24)/92–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री प्रमेश चन्द्र जोशी, अधिवक्ता को दिनांक 15.06.2016 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला पौड़ी गढ़वाल की तहसील पौड़ी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री प्रमेश चन्द्र जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 07/No-D/XXXVI(1)/2016-924(24)/92**, Dated June 15, 2016.

NOTIFICATION

Appointment

June 15, 2016

No. 07/No-D/XXXVI(1)/2016-924(24)/92–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Pramesh Chandra Joshi, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15.06.2016 for Tehsil Pauri, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956, also directs that the name of Mr. Pramesh Chandra Joshi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the Said Act.

अधिसूचना / नियुक्ति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 08 / नो0डी0 / XXXVI(1) / 2016–924(24) / 92–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री भवान सिंह रावत, अधिवक्ता को दिनांक 15.06.2016 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला पौड़ी गढ़वाल की तहसील थैलीसैंण में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री भवान सिंह रावत का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 08 /No-D/XXXVI(1)/2016-924(24)/92**, Dated June 15, 2016.

NOTIFICATION

Appointment

June 15, 2016

No. 08 /No-D/XXXVI(1)/2016-924(24)/92--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Bhawan Singh Rawat, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15.06.2016 for Tehsil Thailisain, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956, also directs that the name of Mr. Bhawan Singh Rawat be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the Said Act.

अधिसूचना / नियुक्ति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 28 / नो0बी0 / XXXVI(1) / 2016–12 नो0बी0 / 2015–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 15.06.2016 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुरेन्द्र कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 28 /No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015**, Dated June 15, 2016.

NOTIFICATION

Appointment

June 15, 2016

No. 28/No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Surendra Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15.06.2016 for Tehsil Roorkee, District Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956, also directs that the name of Mr. Surendra Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the Said Act.

अधिसूचना / नियुक्ति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 29 / नो0बी0 / XXXVI(1) / 2016–12 नो0बी0 / 2015–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री सुधीर कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 15.06.2016 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुधीर कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 29 /No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015**, Dated June 15, 2016.

NOTIFICATION

Appointment

June 15, 2016

No. 29/No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Sudhir Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15.06.2016 for Tehsil Roorkee, District Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956, also directs that the name of Mr. Sudhir Kumar, be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the Said Act.

अधिसूचना / नियुक्ति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 30 / नो0बी0 / XXXVI(1) / 2016–12 नो0बी0 / 2015–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्रीमती मोहिनी अग्रवाल अधिवक्ता को दिनांक 15.06.2016 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती मोहिनी अग्रवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 30 /No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015**, Dated June 15, 2016.

NOTIFICATION

Appointment

June 15, 2016

No. 30/No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Smt. Mohini Aggarwal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15.06.2016 for District Headquarter, Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956, also directs that the name of Smt. Mohini Aggarwal, be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the Said Act.

अधिसूचना / नियुक्ति

15 जून, 2016 ई0

संख्या 31 / नो0बी0 / XXXVI(1) / 2016–12 नो0बी0 / 2015–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री रियाजुल हसन, अधिवक्ता को दिनांक 15.06.2016 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री रियाजुल हसन का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,
आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 31/No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015**, Dated June 15, 2016.

NOTIFICATION

Appointment

June 15, 2016

No. 31/No-B/XXXVI(1)/2016-12 No-B/2015--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleesed to appoint Sri Riyajul Hassen, Advocate es Notary for a period of five years with effect from 15.06.2016 for District Headquarter, Herdwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Ruie 8 of Noteries Rules, 1956, also directs thet the name of Sri Riyajul Hassan, be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the Sald Act.

By Order,
ALOK KUMAR VERMA,
Secretary, Law-cum-L.R.

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

16 जून, 2016 ई0

संख्या 1250 / XX–3–2016–04(55)2003–श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02, वर्ष 1974) की धारा 11 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परामर्श से इस विषय में विद्यमान अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, श्री विनोद कुमार बर्मन, द्वितीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून को उनके दायित्वों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिलों क्रमशः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी के स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे अपराधों की, जिनमें दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) के अधीन केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा अन्वेषण किया गया हो अथवा आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया हो, देहरादून स्थित न्यायालय में जाँच, विचारण अथवा सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने के लिये अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट / 337–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 18, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

June 21,2016

No. 713/III-A-9/2009/SLSA/2016--In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and pursuant to the recommendation of Chairman, District Legal Services Authority, Pithoragarh, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is hereby pleased to appoint Smt. Pratibha Tiwari, Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh as ex-officio Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh in addition to her duties from the date when she assume charge.

NOTIFICATION

June 21,2016

No. 714/III-A-07/2016/SLSA--Smt. Jyoti Bala, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned earned leave for a period of 19 days *w.e.f.* 23.05.2016 to 10.06.2016 with permission to prefix 21.05.2016 as Buddha Purnima holiday and 22.05.2016 as Sunday holiday and suffix 11.06.2016 as 2nd Saturday holiday and 12.06.2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 21,2016

No. 715/III-A-22/2016/SLSA--Sri Ramesh Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for a period of 10 days *w.e.f.* 01.06.2016 to 10.06.2016 with permission to suffix 11.06.2016 as 2nd Saturday holiday and 12.06.2016 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

23 जून, 2016 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्या0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रुड़की/
काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा सम्भाग।

पत्रांक /2283/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 243/2016/14(120)/XXVII(8)/06 तथा अधिसूचना संख्या 304/2016/04(120)/XXVII(8)/16, समदिनांकित 21 जून, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः "अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के संबंध में दिनांक 01.04.2016 से उस समय तक, जब तक राज्य सरकार योजना को समाप्त न कर दें या जी0एस0टी0 लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए समाधान योजना लागू किए जाने" तथा मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–1 के क्रमांक 35(क) पर विद्यमान प्रविष्टि में संशोधन संबंधी अधिसूचनायें जारी की गयी हैं।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रतियां इस आशय से प्रेषित हैं कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या 243/2016/14(120)/XXVII(8)/06

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून : दिनांक 21 जून, 2016

विषय :–अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकरों के संबंध में एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6171/आयु0क0उत्तरा0/प0सं0–56(08–09)/विधि0–अनु0/2015–16/दे0दून, दिनांक 31.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित सिविल एवं विद्युत संविदाकरों के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.04.2016 से उस समय तक, जब तक राज्य सरकार योजना को समाप्त न कर दे या जी0एस0टी0 लागू होने तक जो भी पहले घटित हो, तक के लिये समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. समाधान योजना से संबंधित शासन के निर्देश, प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र के प्रारूप आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इन योजनाओं का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

शासन के निर्देश

(सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में दिनांक 01.04.2016 से एकमुश्त समाधान राशि निश्चित किए जाने के सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश):–

शासन ने यह निर्णय लिया है कि अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में सिविल संकर्म संविदाकारों एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में विद्युत संविदाकारों द्वारा देय कर की राशि के विकल्प के रूप में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार की जाए:–

शर्तें एवं प्रतिबन्धः–

(1) "सिविल संविदाकार" से तात्पर्य ऐसे पंजीकृत संविदाकार से है जो निम्नांकित प्रस्तर–क में उल्लिखित कार्य को करते हैं अथवा प्रस्तर–क में उल्लिखित कार्य के लिए हुई संविदा के अधीन प्रस्तर–क के कार्य के साथ–साथ प्रस्तर–ख, ग, घ और ङ में उल्लिखित कोई कार्य या समस्त कार्य करते हैं:–

(क) सिविल कार्य, जैसे कि भवनों, पुलों, सड़कों, बाँधों, शेड्स, बैराजों, काजवे, उत्पलमार्ग (स्पिलवेज), डाईवर्जनों का निर्माण, मरम्मत तथा ड्रेनेज व सिवरेज से सम्बन्धित कार्य;

(ख) स्ट्रैक्चर, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, ग्रिल्स, शटर्स तथा अन्य, इसी प्रकार की वस्तुएँ, यदि वह संविदा स्थल पर बनाकर उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये;

(ग) टाइल, स्लैब, पत्थरों तथा शीट्स आदि का लगाना, यदि वह उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये;

(घ) उपरोक्त (क) में अंकित संविदा कार्यों का विद्युतीकरण तथा प्लम्बिंग से सम्बन्धित सभी कार्य;

(ङ) भवनों की रंगाई व पुताई का कार्य।

(2) "विद्युत संविदाकार" से तात्पर्य ऐसे पंजीकृत संविदाकार से है जो निम्न में से कोई कार्य या समस्त कार्य करते हों:–

(क) भवनों के अन्तः या वाह्य वायरिंग, जिसमें बिजली के पोल, केबिल, ओवर हैड लाईन, स्ट्रीट लाईट की लाईटनिंग एवं स्थापना शामिल है;

(ख) मेन स्विच, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पैनल की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ग) ट्यूब फिटिंग्स, लैम्प शेड्स, ब्रेक्रेट्स की आपूर्ति एवं स्थापना तथा पंखों की स्थापना;

(घ) ऊर्जा वितरण उपकरण अर्थात् स्विच गेयर, पैनल डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना;

(ङ) अर्थिंग उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना

(च) विद्युत अधिष्ठानों/उपकरणों की मरम्मत हेतु उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना।

(3) सिविल संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि का आंगणन–

अविभाजित सिविल संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान राशि का आँकलन, संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि में से संविदी द्वारा आपूर्ति किये गये ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात् प्राप्त धनराशि पर की जायेगी, जिसका उल्लेख संविदा में हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिस सिविल संविदा में मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा, उनमें संविदाकार को प्राप्त होने वाली राशि में से अर्थवर्क के सम्बन्ध में संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली राशि को घटा दिया जायेगा तथा अवेशष राशि पर समाधान राशि की गणना निम्न दर से की जायेगी:–

सिविल संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि की दर–

(क) ऐसे मामले, जिनमें सिविल संविदाकार द्वारा प्रदेश के अन्दर के ब्यौहारियों से माल का क्रय करके संविदा कार्य में इनका अन्तरण किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित

धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जायेगी और ऐसे संविदाकारों को, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली के नियम–11 के होते हुए भी त्रैमासिक रूपपत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून तक नियम–11 में निर्धारित प्रारूप में व रीति से वार्षिक रूपपत्र दाखिल करना होगा परन्तु समाधान राशि का भुगतान नियम–11 में दी गयी रीति एवं समय के अनुसार ही करना होगा:

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी किन्तु यदि उपसंविदाकार द्वारा संविदाकार के रूप में इस भुगतान की राशि पर, इस अधिनियम के अधीन, कर अदा किया गया है तो ऐसी धनराशि, सकल धनराशि से घटाने के उपरान्त समाधान राशि निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य तथा मुख्य संविदाकार द्वारा प्रयोग के लिए आयातित माल के मूल्य का योग, यदि सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत तक है, तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 4 प्रतिशत की दर से और यदि ऐसे आयातित माल का मूल्य सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ख) जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि का 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो तो समाधान राशि की गणना, उक्तानुसार आगणित राशि का 4 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम–11 में निर्धारित है:

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी किन्तु यदि उप संविदाकार द्वारा संविदाकार के रूप में इस भुगतान की राशि पर, इस अधिनियम के अधीन, कर अदा किया गया है, तो ऐसी धनराशि सकल धनराशि से घटाने के उपरान्त समाधान राशि निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य तथा मुख्य संविदाकार द्वारा संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल के मूल्य का योग, यदि सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत तक है, तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 4 प्रतिशत की दर से देय होगी और यदि ऐसा योग, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ग) जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) व (ख) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना, उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम–11 में निर्धारित है:

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायगी किन्तु यदि उप संविदाकार द्वारा संविदाकार के रूप में इस भुगतान की राशि पर इस अधिनियम के अधीन, कर अदा किया गया है, तो ऐसी धनराशि सकल धनराशि से घटाने के उपरान्त समाधान राशि निर्धारित की जाएगी।

विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान राशि की गणना एवं उसकी दरः

(घ) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के शून्य प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया हो, उसमें समाधान राशि की गणना, सम्पन्न संविदा की धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम–11 में निर्धारित है:

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायेगी किन्तु यदि उप संविदाकार द्वारा संविदाकार के रूप में इस भुगतान की राशि पर, इस अधिनियम के अधीन, कर अदा किया गया है, तो ऐसी धनराशि सकल धनराशि से घटाने के उपरान्त समाधपान राशि निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि, उक्त के होते हुए भी यदि उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा के निष्पादन हेतु कोई आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और उप संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल का मूल्य तथा मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल के मूल्य का योग, यदि सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान राशि 6 प्रतिशत की दर से देय होगी।

(ङ) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा में की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का प्रयोग किया हो, उसमें समाधान राशि की गणना, सम्पन्न संविदा की सकल राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूपपत्रों की प्रस्तुति, ऐसी रीति व समय के अन्दर की जायेगी, जैसा कि नियम–11 में निर्धारित है:

परन्तु यह कि, मुख्य संविदा का कुछ कार्य अथवा समस्त कार्य उप संविदा पर उप संविदाकार से कराये जाने की दशा में, मुख्य संविदाकार द्वारा देय समाधान राशि की गणना, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि (उप संविदाकार को भुगतान की गयी राशि को घटाये बगैर) पर की जायगी किन्तु यदि उप संविदाकार द्वारा संविदाकार के रूप में इस भुगतान की राशि पर, इस अधिनियम के अधीन, कर अदा किया गया है, तो ऐसी धनराशि सकल धनराशि से घटाने के उपरान्त समाधान राशि निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण–जहाँ तक दिनांक 01.04.2016 से पूर्व की संविदाओं के विरूद्ध इस योजना की अवधि में प्राप्त भुगतान राशि का संबंध है, उस पर नियमानुसार पूर्व समाधान योजना के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समाधान राशि की गणना की जायेगी, क्योंकि संविदाकारों द्वारा तत्समय लागू समाधान योजना के अनुसार अनुबन्ध किया गया था।

(4) (i) ऐसा संविदाकार, जिसके द्वारा 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का विकल्प लिया गया है, द्वारा या उनके उप संविदाकार द्वारा आयात कर माल का प्रयोग किया जाए तो, यदि संविदाकार व उप संविदाकार द्वारा कुल संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत तक आयात कर प्रयोग किया जाता है, तो समाधान राशि की गणना सकल राशि की 4 प्रतिशत की दर से होगी एवं यदि संविदाकार व उप संविदाकार द्वारा कुल संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक का आयात कर प्रयोग किया जाता है तो समाधान राशि की गणना सकल राशि की 6 प्रतिशत की दर से होगी। इस प्रकार की गणना होने पर संविदाकार को समाधान राशि ब्याज सहित जमा करनी होगी।

(ii) ऐसा संविदाकार, जिसके द्वारा संविदा के निष्पादन में आयातित माल का प्रयोग किया जाता है और जिसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का विकल्प लिया गया है, के द्वारा सम्पन्न संविदा की धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक माल का आयात करके संविदा में प्रयोग किया गया है अथवा उसके द्वारा एवं उसकी उप संविदाकार द्वारा प्रयोग किये गये आयातित माल का योग, सम्पन्न मुख्य संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे मुख्य संविदाकार सम्पन्न संविदा के निष्पादन में प्राप्त होने वाली सकल धनराशि पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि (ब्याज सहित) जमा करेंगे:

परन्तु प्रतिबन्ध है कि, किसी संविदा के लिए एक बार उच्चतर दर से समाधान राशि का विकल्प अपनाने वाले संविदाकार को बाद में उस संविदा हेतु निम्नतर दर की समाधान राशि का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) योजना का विकल्प अपनाने वाले 'संविदाकार' निर्माण हेतु प्रान्त के बाहर से मशीनरी आदि का आयात करके प्रयोग कर सकते हैं किन्तु इनका हस्तान्तरण किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। यदि कार्य समाप्त होने के उपरान्त उक्त आयातित मशीनरी आदि की बिक्री अथवा उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण किया गया हो, तो उस पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कर देय होगा।

(5) जो धनराशि, धारा 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत संविदी द्वारा काटी जा चुकी है, उसके संबंध में नियम 21(6) में निर्धारित प्रमाण–पत्र (TDS Certificate) देने पर, कटौती की गयी धनराशि को समाधान राशि में समायोजित किया जा सकेगा।

(6) संविदाकार को अनुबन्धवार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण, वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाली वार्षिक विवरणी के साथ, प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जाँच के दौरान आयातित माल का प्रयोग, अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुए, आयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, ऐसे माल की बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा उस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा। साथ–साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(7) संविदा के निष्पादन में अन्तरित होने वाले माल के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

(8) समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नहीं होगा।

(9) यह योजना वैकल्पिक होगी। जो संविदाकार इसे नहीं अपनायेंगे, उनका नियमित कर निर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते हैं, वह इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना–पत्र, संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर, अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये भुगतान पर उपरोक्तानुसार आगणित समाधान राशि प्रार्थना–पत्र के साथ जमा की जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अन्दर, देय समाधान राशि तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(10) समाधान राशि निश्चित समय के अन्दर जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा।

(11) किसी संविदाकार को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प ले। जिन संविदाकारों द्वारा पूर्व वर्ष में समाधान योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, उन्हें अगले वर्ष संविदा कार्य चालू रहने की स्थिति में उस संविदा के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(12) समाधान योजना में शामिल होने संबंधी प्रार्थना–पत्र दाखिल करने से पूर्व संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा संविदाकारों पर लगाए जाने वाले कर, स्रोत पर कटौती के बारे में उच्च/उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की गई है और यदि दायर की गई है तो वापस ले लिया गया है, तत्पश्चात् ही वह समाधान योजना की पात्रता में आएगा।

(13) धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

(14) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 में भू–राजस्व की बकाया के रूप में की जा सकेगी तथा साथ ही साथ धारा 58 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकेगी।

(15) यदि किसी संविदाकार से धारा 35 के अन्तर्गत की गयी कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तो अधिक जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

(16) उप संविदा पर कार्य करने की दशा में उप संविदाकार, "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित प्ररूप, रीति एवं समयावधि में मुख्य संविदाकार को ऐसा प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेगा, जिसमें संविदा का विवरण, सम्पन्न उप संविदा हेतु मुख्य संविदाकार से प्राप्त धनराशि एवं सम्पन्न उप संविदा में प्रयोग किये गये आयातित माल की राशि, अपना टिन एवं मुख्य संविदाकार का टिन एवं वे अन्य विवरण अंकित करने होंगे, जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसा प्रमाण–पत्र मुख्य संविदाकार द्वारा संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसे समयावधि एवं रीति में प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा कि, "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

एवं मुख्य संविदाकार द्वारा उप संविदाकार को, कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्ररूप, रीति एवं समयावधि में ऐसा प्रमाण–पत्र, उप संविदाकार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें संविदा का विवरण, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा हेतु उप संविदाकार को भुगतान की गयी धनराशि, मुख्य संविदाकार एवं उप संविदाकार का टिन एवं वे अन्य विवरण अंकित होंगे, जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसा "प्रमाण–पत्र" संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसी समयावधि एवं रीति में प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा कि, "कमिश्नर" द्वारा निर्धारित किया जाय;

उप संविदाकार, उपरोक्त वर्णित प्रमाण–पत्र अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके ही अपने कर दायित्वों से मुक्ति पा सकेगा। उप संविदा पर कार्य कराने की दशा में मुख्य संविदाकार द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण–पत्र अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने की दशा में कर निर्धारण अधिकारी, उसके द्वारा आवेदित समाधान राशि की दर से उच्चतर दर पर उसकी समाधान राशि की देयता आंकलित कर सकेगा।

(17) यदि, पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र/शपथ–पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण की कार्यवाही कर सके।

(18) संविदा की प्रकृति एवं संविदाकार के वर्ग के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य निर्देश दे सकते हैं।

(19) योजना को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर, आवश्यक निर्देश दे सकते हैं एवं आवश्यक व्यवस्था लागू कर सकते हैं एवं "प्रमाण–पत्र" का प्ररूप निर्धारित कर सकते हैं।

(20) किसी वित्तीय वर्ष से योजना को बिना कारण बताये समाप्त करने अथवा योजना की निर्धारित समाधान धनराशि में बढ़ोत्तरी करने अथवा अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा किन्तु जिस दिन से राज्य सरकार समाधान योजना न लागू करने का निर्णय लेती है, उस दिन तक प्रारम्भ की गई संविदाओं के कार्य पर तत्समय लागू योजना का लाभ, उस संविदा के सम्बन्ध में दिया जायेगा और उस दिन के बाद की संविदाओं से सम्बन्धित कार्य पर नए प्राविधान लागू होंगे किन्तु GST प्रणाली लागू होने की दशा में, GST लागू होने की तिथि के बाद प्राप्त भुगतान पर कर दायित्व GST अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित होगा।

(21) यह योजना उस समय तक, जब तक राज्य सरकार योजना को समाप्त न कर दें या GST लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये लागू रहेगी।

विकल्प प्रार्थना–पत्र (प्रारूप 723)

अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा के लिये उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में, शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने के संबंध में

सेवा में,

असिस्टेन्ट कमिश्नर/कर निर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड।

महोदय,

1. मैं, सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....
पता.....स्थित है और जिसका टिन सं0..... जो दिनाँक.....
से प्रभावी है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत टिन प्राप्त करने के लिए दिनाँक.....को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार/.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह विकल्प प्रार्थना–पत्र, अपनी उपरोक्त फर्म/संस्था की ओर से वर्ष.....के लिए धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अविभाजिन संकर्म संविदा हेतु देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. संबंधित अविभाजित संकर्म संविदाओं एवं उन हेतु मेरे द्वारा अपनायी जाने वाली समाधान राशि की दर के विकल्प के विवरण निम्नानुसार हैं:–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	संविदी का नाम व पता	संविदी की TDAN सं0	संकर्म संविदा/ अनुबन्ध की सं0 एवं दि0	संविदा की सकल धनराशि	संविदा की अवधि	संविदा की प्रकृति (i) अविभाजित सिविल संविदा अथवा (ii) अविभाजित विद्युत संविदा	संविदा निष्पादन का स्थल	समाधान राशि की दर, जिसका विकल्प लिया गया
1.								
2.								
योग								

10	11	12	13	14	15	16	17
प्राप्त भुगतान	भुगतान का दिनांक	देय समाधान राशि	TDS	TDS समायोजन के उपरान्त देय राशि	जमा का चालान सं0 व दि0	संविदी द्वारा उपलबध कराये गये माल का विवरण	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का मूल्य

3. उपरोक्त संविदा पर देय समाधान राशि मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा संविदी द्वारा कटौती कर ली गयी है।
4. प्रस्तर दो में अंकित विवरण के अतिरिक्त मुझे न तो कोई संविदा मिली है और न ही मैंने संविदा संबंधी कोई भुगतान प्राप्त किया हैं।
5. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।
6. शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को मैंने एवं हितबद्ध अन्य सभी ने सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म/संस्था के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है और वे हम पर बाध्यता है।
7. इस प्रार्थना के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र/अनुबन्ध–पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
8. प्रस्तर–2 में अंकित संविदाओं/अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न हैं।
9. मैं उक्त फर्म द्वारा की गयी माल के स्वामित्व के अन्तरण पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों तथा शासन के निर्देशों के अधीन संलग्न शपथ–पत्र/अनुबन्ध के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ।

संलग्नक–(1) शपथ–पत्र/अनुबन्ध–पत्र,
(2) प्रस्तर–2 में अंकित समस्त संविदाओं/अनुबन्धों की प्रमाणित प्रतियाँ।

शपथ–पत्र/अनुबन्ध–पत्र (प्रारूप 724)

अविभाजित सिविल संकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत संकर्म संविदा के लिये उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) में, शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प अपनाने के संबंध में

मैं, सर्वश्री.....आयु.....पुत्र श्री.....
निवासी (स्थायी).....शपथपूर्वक बयान करता हूँ:–

1. कि मैं, सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पता.....स्थित है और जिसका टिन सं0.....जो दिनांक.....से प्रभावी है अथवा जिसने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत टिन प्राप्त करने के लिए दिनांक ..... को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार/..... (प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ–पत्र अपनी उपरोक्त फर्म/संस्था की ओर से वर्ष.....के लिए धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अविभाजिन संकर्म संविदा हेतु देय कर के बदले समाधान राशि के विकल्प संबंधी प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2. कि संबंधित अविभाजित संकर्म संविदाओं एवं उन हेतु समाधान राशि की दर के विकल्प का विवरण निम्नप्रकार है:–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	संविदी का नाम व पता	संविदी की TDAN सं0	संकर्म संविदा/ अनुबन्ध की सं0 एवं दि0	संविदा की सकल धनराशि	संविदा की अवधि	संविदा की प्रकृति (i) अविभाजित सिविल संविदा अथवा (ii) अविभाजित विद्युत संविदा	संविदा निष्पादन का स्थल	समाधान राशि की दर, जिसका विकल्प लिया गया
1.								
2.								
योग								

10	11	12	13	14	15	16	17
प्राप्त भुगतान	भुगतान का दिनांक	देय समाधान राशि	TDS	TDS समायोजन के उपरान्त देय राशि	जमा का चालान सं0 व दि0	संविदी द्वारा उपलबध कराये गये माल का विवरण	संविदी द्वारा उपलब्ध कराये गये माल का मूल्य

3. कि उपरोक्त संविदा पर देय समाधान राशि जमा कर दी गयी है अथवा संविदी द्वारा कटौती कर ली गयी है।
4. कि प्रस्तर दो में अंकित विवरण के अतिरिक्त मुझे न तो कोई संविदा मिली है और न ही मैंने संविदा संबंधी कोई भुगतान प्राप्त किया है।
5. कि उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा इस विषय में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है।
6. शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना एवं उसकी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को मैंने एवं हितबद्ध अन्य सभी ने सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म/संस्था के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है और वे हम पर बाध्यता है।

संलग्न–शासन द्वारा जारी समाधान योजना।

घोषणा

मैं,.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि उक्त शपथ–पत्र/अनुबन्ध–पत्र के प्रस्तर 1 से 6 तक के अन्तर्गत दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास से सम्पूर्णतया सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि शपथ–पत्र/अनुबन्ध–पत्र तथा उसके संलग्नक एवं अनुलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और दिशा निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम.....
पूरा पता.....
समय.....
स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर शपथकर्ता.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....
समय.....
स्थान.....
दिनांक.....

घोषणा

मैं, घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं। उनमें कोई भी गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म के स्वामी/साझीदार/.....हैं तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

21 जून, 2016 ई0

संख्या 304/2016/04(120)/XXVII(8)/16–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची–I के क्रमांक 35 (क) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्–

क्र0 सं0	माल का विवरण	कर की दर
35(क)	खादी कपड़ा एवं खादी से निर्मित सभी प्रकार के वस्त्र एवं खादी कपड़े द्वारा निर्मित यथा रजाई, गद्दे, गद्दी, तकिये एवं इनके खोल	करमुक्त

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 304/2016/04(120)/XXVII(8)/ 2016,** dated June 21, 2016 for general information :

NOTIFICATION

June 21, 2016

No. 304/2016/04(120)/XXVII(8)/2016--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-I of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005

Amendment

In Schedule I for the existing entry at serial no. 35(a), the following entry shall be substituted; namely:--

Sl. No.	Description of goods	Rate of Tax
35 (a).	Khadi cloth and all types of khadi garments and made ups of Khadi such as rajaai, gadda, gaddi, pillows and their covers.	Exempt

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

विपिन चन्द्र,

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

01 जून, 2016 ई0

संख्या 264/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–श्री भारत भूषण पुत्र श्री उम्मेद सिंह, निवासी ग्राम देवर, थाना गुप्तकाशी, जिला रूद्रप्रयाग, को पुलिस विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 24.04.2016 को इनके द्वारा शराब पीकर वाहन संख्या यू0के0 07यू0–7290 का संचालन करने के अभियोग में चालान कर, इनके अनुज्ञप्ति संख्या यू0के013 20150007384, जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT) हेतु जारी किया गया था। जिसकी वैधता क्रमशः 09.04.2035 तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 117/नोटिस/2015, दिनांक 27.04.2016 के माध्यम से श्री भारत भूषण पुत्र श्री उम्मेद सिंह निवासी ग्राम देवर, थाना गुप्तकाशी, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उक्त वाहन चालक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में मैं, पंकज श्रीवास्तव, प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेन्स संख्या यू0के013 20150007384 (वैधता उपरोक्त) को दिनांक 01.06.2016 से 31.08.2016 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

आदेश

06 जून, 2016 ई0

संख्या 285/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–श्री विश्वनाथ सिंह परमार पुत्र स्व0 फते सिंह परमार, ग्राम सुमाडी, थाना व जिला रूद्रप्रयाग, को पुलिस विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 27.05.2016 को इनके द्वारा शराब पीकर वाहन संख्या यू0के013–6681 (वैगनआर) का संचालन करने के अभियोग में चालान कर, इनके अनुज्ञप्ति संख्या यू0के013 20140005420, जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT) हेतु जारी किया गया था। जिसकी वैधता 17.03.2019 तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 262/नोटिस/2015, दिनांक 01.06.2016 के माध्यम से श्री विश्वनाथ सिंह परमार पुत्र स्व0 फते सिंह परमार, ग्राम सुमाडी, थाना व जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उक्त वाहन चालक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसैन्सिंग अधिकारी के रूप में मैं, पंकज श्रीवास्तव, प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेन्स संख्या यू0के013 20140005420 (वैधता उपरोक्त) को दिनांक 06.06.2016 से 05.09.2016 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

आदेश

07 जून, 2016 ई0

संख्या 286/पंजीयन निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UK13CA-0276(G/V), मॉडल 2012, चेसिस संख्या MAT45503C8P44121, इंजन संख्या 497SP67NXY677232, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी राजेश बगवाडी पुत्र श्री बृजमोहन बगवाडी, ग्राम सांकरी, पो0 गुप्तकाशी, जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 15.12.2014 को अपने वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया। चूँकि इनका उक्त वाहन दिनांक 12.12.2014 को स्थान सिरोबगड, जनपद रूद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो कि वर्तमान समय तक लापता है। उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पंकज श्रीवास्तव, प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07.06.2016 को वाहन संख्या UK13CA-0276(G/V) का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/337–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जुलाई, 2016 ई0 (आषाढ़ 18, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

श्रीमति कोशला देवी व पुष्पा देवी पत्नी 1130678 स्व0 बच्चीराम, दोनों एक ही महिला के नाम है, जबकि मेरे पति के सैन्य अभिलेखों में मेरा नाम कोशला देवी दर्ज है। दोनों नाम सत्य व सही है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

श्रीमति कोशला देवी उर्फ पुष्पा देवी
पत्नी स्व0 श्री बच्चीराम,
निवासी 182, ओगल भट्टा सोसायटी
एरिया, पोस्ट क्लेम्नटाऊन, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट / 337–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।